कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)

क्र0/इ.म./छात्रवृत्ति शाखा/2020/............/ सागर, दिनांक :– 04/09/ 2020

आवश्यक सूचना

(छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना के संबंध में)

संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि AICTE द्वारा सभी वर्गो की छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। जिसे तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन एवं सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा हैं। प्रति वर्ष छात्रवृत्ति की कुल उपलब्ध संख्या 4000 हैं। जिसमें से 2000 डिग्री तथा 2000 डिप्लोमा में अध्ययनरत छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्येक परिवार से केवल दो बालिकाएँ ही इस योजना के लिए पात्र होगीं। जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये अथवा उससे कम है। विवाहित छात्राओं के मामले में माता–पिता अथवा ससुराल में से जिस भी परिवार की वार्षिक आय अधिक होगी वही वास्तविक आय मानी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन वर्तमान कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित आर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्राओं को वास्तविक शिक्षण शुल्क की राशि अथवा रू 30,000/– में से जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त रूपये 2000/– प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष 10 माह के लिए आकस्मिक व्यय की राशि भी देय होगी। TFW (शिक्षण शुल्क में छूट) योजना के तहत प्रवेशित विद्यार्थी अथवा अन्य योजनाओं से शिक्षण शुल्क प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थी को इस योजना के तहत पुस्तकें/ उपकरण/ सॉफ्टवेयर/ लैपटॉप/ डेस्कटॉप/ वाहन कय करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क जमा करने के लिए रू. 30,000/– की पात्रता होगी।

उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण :– एससी के लिए 15%, एस.टी. के लिए 7.5% तथा ओ.बी.सी. के लिए 27%।

आवेदन करने की प्रकिया : – वर्ष 2017–18 अथवा उसके बाद प्रथम वर्ष में प्रवेशित इस योजना के अंतर्गत पात्र समस्त छात्राऍ आवेदन की लिंक –https://www.aicte-pragati-saksham-gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। विधिवत् भरे हुए आवेदन के प्रिंट आउट के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा कराऍः–

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करे :–

1. दसवी एवं बारहवी अथवा डिप्लोमा की अंकसूची की छाया प्रति।
2. निर्धारित वर्ष में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
3. प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग के समय जारी एडमीशन स्लिप की छाया प्रति।
4. शिक्षण शुल्क रसीद की छाया प्रति।
5. आधार कार्ड की छाया प्रति।
6. आधार नम्बर से लिंक स्वयं के खाते की फोटो युक्त बैंक पास बुक की छाया प्रति आई.एफ.एस.सी कोड सहित।
7. स्वयं का पास पोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ।
8. पिता/माता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र कि उनके अथवा उनके पुत्र/पुत्री द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि संस्था को वापिस कर देगें।
9. स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए)।
10. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र।

प्राचार्य,
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

पृ. क्र0/इ.म./छात्रवृत्ति शाखा/2019–20/3146/
सागर, दिनांक :– 02/09/2020 04

प्रतिलिपि :– 1. प्रभारी वेबसाईट की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्राचार्य,
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)